न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	376/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	405/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010872026

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगत सिंह उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 17 लोहिया कॉलोनी हनुमानगढ़ टाऊन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 312/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री जोधा सिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 02.06.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 312/2026 में प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 29.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 09.05.2026 को परिवादी श्री गोविन्द अग्रवाल ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी सेक्टर नं. 3 हाऊस नं. 13 हनुमानगढ़ टाऊन का रहने वाला है। दिनांक 30.04.2026 को प्रार्थी के घर में से राजेन्द्र के द्वारा दो टूंटियां चोरी कर ली गई थी लेकिन उस समय यह किसी प्रकार वहां से भाग गया था। लेकिन आज दिनांक 08.05.2026 की शाम को लगभग 5.30 बजे उक्त राजेन्द्र पुनः प्रार्थी के घर से चार टूंटियां चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन आज प्रार्थी के द्वारा आस–पास के लोगों की सहायता से इसको पकड़ लिया गया है। उक्त राजेन्द्र के द्वारा भागने के प्रयास में कस्सी से लोगों को मारने का प्रयास भी किया गया था....आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन में प्राथमिकी सं. 312/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिनांक 30.04.2026 को भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा टूंटी चोरी करना बताया गया है, परन्तु उसके द्वारा इस संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी गई। वास्तव में परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को

मजदूरी के पैसे देने थे, पैसे नहीं देकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(3) व 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से दो लोहे की पाईप लगी टूंटियां बरामद हुई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	–	–	–	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका व इसी राशि की एक मौतबिर जमानत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाये, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

STENO
GRADE Ist
MANISH KUMAR
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:26:17 +0530